झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.01.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री विरंची नारायण एवं श्री अनन्त कुमार ओझा,स0वि0स0	राज्य निर्माण के बाद यदि 2001 और 2011 की जनगणा (Census) का अध्ययन किया जाय। तो यह देखने को मिलता है कि राज्य के कुछ जिलों में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा असामान्य वृद्धि दर दर्ज की जा रही है। पाकुड़,साहेबगंज और लोहरदागा जैसे जिलों में प्राप्त होने वाले उच्च वृद्धि दर का कारण कहीं अवैध घुसपैठ या धर्मान्तरण तो नहीं है यह भी एक विचारणीय तथ्य है। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि असम राज्य के तर्ज पर झारखण्ड सरकार भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का निर्माण कराये, ताकि राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
02-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	देवघर हवाई अड्डा निर्माण के क्रम में 9 गाँवों के ग्रामीणों को बिना पूर्व सूचना एवं बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये उन्हें उजाड़ दिया गया अधिकांश परिवार दलित, अत्यंत पिछड़ा एवं मुस्लिम समाज से आते है। ग्राम-बाबूपुर एवं कटिया में अधिकांश बंधुआ मजदूर एवं दलित परिवार है जिन्हें घर बनाने हेतु भूदान एवं सरकार की ओर से वर्षों पूर्व जमीन मिला था आज लोग प्लास्टिक का घर बनाकर रह है हैं। इस ठंड में 8 जनवरी को पोचा मांझी (52 वर्ष) की मौत भी हो गयी। इन्हें घर का मुआवजा एवं रहने योग्य जमीन उपलब्ध करावें।	परिवहन (नागर विमानन)

01.	02.	03.	04.
03	श्री अमित कु0 मण्डल एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0,	गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखण्ड बसंतराय के ग्राम-जमनी कोला कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु उपायुक्त गोड्डा के पतांक-61/गो0,दिनांक-14.01.2017 द्वारा आम सभा के तहत् लाभुक चैयन संबंधी प्राप्त परिवाद पत्र मु0 इलियास एवं अन्य 257 व्यक्तियों संबंधी पत्र जिला कल्याण विभाग गोड्डा को भेजा गया है लेकिन उपायुक्त गोड्डा के पत्रांक-61/गो0,दिनांक-14.01.2017 के आदेश के बावजूद दिनांक-14.02.2017 लगभग एक माह बाद विवादित पक्ष के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी ने तत्कालीन उपायुक्त के आदेश के अवहेलना करते हुए गोपनीय तरीके से एकरारनामा कर दिया है इस बीच ग्रामीणों के दबाव के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी ने पत्रांक-342 जि0 क0 दिनांक-08.03.2017 को उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गोड्डा को परिवाद पत्र के आलोक में कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से जाँच होने तक योजना कार्य स्थगित रखने का निर्देश दिया था लेकिन इस बीच तत्कालीन उपायुक्त के पत्रांक-61/गो0, दिनांक-14.01.2017 के आलोक में पूर्व एकरारनामा को विभाग ने बिना रद्द किये ही तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को ग्राम सभा का आदेश दे दिया जिसके बाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने ग्राम-सभा कराई तो हो-हंगामा के मामला विधि व्यवस्था तक बढ़ गयी तदोपरान्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बंसत राय ने पत्रांक-364, दिनांक-24.04.2017 के द्वारा बसंत राय थाना में काण्ड संख्या-33/17 प्राथमिकी दर्ज की गयी है। लेकिन इस बीच बसंत राय थाना काण्ड संख्या-33/17 के वगैर जाँच किये ही विभाग ने विवादित पक्ष को कार्य करने की सहमति दे दी। जिस कारण गांव में फिलहाल सौहार्द बिगड़ा हुआ है ऐसी परिस्थिति में ऐसे जिम्मेदार पदाधिकारियों पर सरकार के प्रति अवमानना स्वेच्छाचारी होने विधि व्यवस्था बिगाड़ने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का मामला है। अतएव उक्त लोक महत्व पर मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहतें है।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
04-	श्री अशोक कुमार स०वि०स०,	SECC डाटा (सामाजिक आर्थिक एवं जातीय गणना के प्राथमिकता सूची) के आधार पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना,प्रधानमंत्री उज्वला योजना इत्यादि का लाभ दिया जा रहा है,परन्तु मेरे विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुछ पंचायतों के SECC डाटा में गणनाकर्ता द्वारा पूर्ण नामों का प्रयोग ना कर लघू अक्षरों का प्रयोग कर सांकेतिक नाम अंकित किया गया है, जिससे अंकित व्यक्ति विशेष के अनेक नामों का बोध हो सकता है, तथा K. Devi से कविता देवी, करूना देवी या कोई और भी नाम हो सकता है। साथ ही कई महिलाओं के संक्षिप्त नाम के साथ उनके पति का नाम के स्थान पर उनके पिता का नाम दर्ज है और वह भी संक्षिप्त में अंकित है। उदाहरण स्वरूप गोड्डा जिला अन्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड के पंचायत अमजोरा पिरोजपुर का SECC डाटा सूचि में अनेकों नाम इस प्रकार से दर्ज है। इन सभी त्रुटियों के कारण वास्तविक लाभूकों की पहचान कर पाना असंभव हो गया है। जिससे वास्तविक लाभुक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ से बंचित हो रहे है। ये स्थिति गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा ठाकुरगंगटी एवं महागामा प्रखण्ड के साथ-साथ कमोबेस राज्य के अन्य जिलों में भी है, जिसका सुधार कराया जाना अतिआवश्यक है। अस्तु गरीबों के व्यापक हित के लिये SECC डाटा में यथाशीघ्र सुधार कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराता हूँ।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
05-	श्री कुणाल षाड़ंगी स०वि०स०	झारखण्ड सरकार द्वारा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन दी जा रही है, लेकिन राज्य की बहुत सारी गरीब श्रेणी की महिलाऐं जो समाजिक कारणों एवं अन्य कारणों से अविवाहित रह जाती है या पति द्वारा कम उम्र में ही छोड़ दिये जाने के कारण परित्यक्ता का जीवन जी रही है। ऐसे गरीब परिवार की 18 से 59 वर्ष तक की अविवाहित या परित्यक्ता महिलाओं को जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती है।अतः जनहित में आग्रह है कि गरीब परिवार की 18से 59 वर्ष तक की अविवाहित परित्यक्ता महिलाओं को जीवन यापन के लिए सरकार पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायें। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अविलंब आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

राँची,
दिनांक- 18 जनवरी, 2018 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2018-....756../वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/01/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी परिवहन (नागर विमानन),गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन एवं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/18

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2018-....756../वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/01/18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

17/1/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

17/1